



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1593) पटना, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

6 मार्च 2025

सं० 11/न0वि0/गठन-04/2024-524/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सिवान जिला के कॉलम 4 में वर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-1720 दिनांक-08.10.2024 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत, महाराजगंज क्षेत्र विस्तार का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम /थाना नं०	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	नगर पंचायत का क्षेत्रफल	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम—सिवान					
1	नगर पंचायत, महाराजगंज का क्षेत्र विस्तार (महाराजगंज)	नगर पंचायत, महाराजगंज—157, 158, 159, 162, 580 एवं 581 (वार्ड 01 से 14) धनछुहां— 582 जगदीशपुर—160	उत्तर— बंगरा (579) एवं तेवथा (575) दक्षिण— अभुई(163) एवं कटवार (161) पूरब— रुकुन्दीपुर (168) एवं बालबंगरा (156) पश्चिम— कोथुआ सारंगपुर (585) एवं सवान विग्रह (583)	9.01 वर्ग कि०मी० (2226.42 एकड़)	26020

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, महाराजगंज कहा जायेगा।
2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

6 मार्च 2025

सं० 11/न०वि०/गठन-04/24 अधिसूचना संख्या-524 दिनांक-06.03.2025 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 6th March 2025

No-11/N. Vi./Gathan-04/24-524—In exercise of the powers conferred by sections 3 (1) (a), 4, 5, 6 and 8 of the Bihar Municipalities Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) (as amended), the Governor of Bihar, after due consideration of the objections received, constitutes the extension of Nagar Panchayat, Maharajganj area, within the boundaries as mentioned in column 4 of Siwan district falling under column 3 for the purposes of the said Act, the draft of which has been previously published by the departmental notification number 1720 dated 08.10.2024 and applies the relevant provisions of the said Act in the said areas:-

Sl. no	Name of Urban Body	Name /thana no. of included Villages	Boundary (with thana no.) of Nagar Panchayat	Area of Nagar Panchayat	Total Population of Nagar Panchayat (as per census year, 2011)
1	2	3	4	5	6
Name of District-Siwan					
1	Extension of Nagar Panchayat, Maharajganj area	Nagar Panchayat, Maharajganj- 157,158,159, 162, 580 and 581 (Ward No. 01 to 14) Dhanchhuhan 582 Jagdishpur 160	North- Bangra (579) & Tewatha (575) South- Abhui (163) & Katwaar (161) East- Rukundipur (168) and Baalbangra (156) West- Kothua Sarangpur (585) and Swan Vighra (583)	9.01 Sq.k.m (2226.42 acre)	26020

This area will be called Nagar Panchayat, Maharajganj.

2. This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar,
Abhay Kumar Singh,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1593-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>